क्रमांक धर्मशाला नगर निगम/ नाकारा/ स्टोर/2017-
कार्यालय आयुक्त धर्मशाला नगर निगम
दिनांक:-

नीलामी सुचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की कार्यालय आयुक्त धर्मशाला नगर निगम द्वारा नकारा घोषित किये गये निम्नलिखित सामान की बोली दिनांक 19.01.2024 को 2:30 PM बजे इस कार्यालय परिसर में रखी गयी है। अयोग्य घोषित सामान कार्यालय धर्मशाला नगर निगम के कूड़ा सयंत्र केंद्र नजदीक बस डिपो धर्मशाला परिसर में रखा गया है। बोलीदाता बोली से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में नाकारा सामान को इसकार्यालय द्वारा प्राधिकृतकर्मचारी के साथजा कर देखसकता है।यह शर्तें निगम की वेबसाइट www.edharamshala.in पर भी उपलब्ध हैं।

नाकारा सामान की सूची:-

क्र. संख्या	सामान का विवरण	संख्या
1.	Plasma Pyrolysis Plant along with other accessories	1

नीलामी की शर्तें :-

1. प्रत्येक बोलीदाता को बोली से पूर्व 5000/- रुपये धरोहर राशि के रूप में इस कार्यालय के बैंक खाता संख्या **050001000483** IFSC Code- **ICIC0000500 (ICICI Bank, Dharamshala)** में जमा करवानी होगी। जमा रसीद दिखाने के उपरांत ही वह अपनी बोली दे सकता है।
2. सफल/ उच्चतम् बोलीदाताको बोली की सारी राशी एकमुश्त उसी दिन कार्यालय के बैंक खाता संख्या- **050001000483**, IFSCCode-**ICIC0000500 (ICICI Bank, Dharamshala)** में जमा करवानी होगी। जमा राशि की रसीद दिखाने के उपरान्त ही नीलाम किये हुए सामान को उठाने की अनुमति दी जाएगी।
3. बोलीदाता अपनी बोली नीलामी कमेटी के समक्ष बोलेगा और जिसकी बोली सबसे अधिक होगी उसकी बोली राशी की आरक्षित मूल्य से तुलना की जाएगी, अगर अधोहस्ताक्षरी उसे ठीक समझे तो सामान बोलीदाता को दे दिया जायेगा।
4. सफल बोलीदाता को सारा सामान दो दिन के भीतर उठाना होगा। अगर दो दिन के भीतर वह सामान नहीं उठाता है या क्रम संख्या 2 के अनुसार राशी उसी दिन जमा नहीं करवाता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. असफल बोलीदाता की धरोहर राशि नीलामी की कार्यवाही के उपरान्त लौटा दी जाएगी। उसी प्रकार सफल बोलीदाता की धरोहर राशि सामान को तय समय सीमा में उठाने के उपरान्त वापिस कर दी जाएगी।
6. सफल बोलीदाता को तय राशि के उपर जी.एस.टी.नियमानुसार जमा करवाना पड़ेगा। इसलिए बोलीदाता अपना जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नंबर भी साथ में लायें।इसलिए बोली लगाने के लिए जी.एस.टी. नंबर अनिवार्य है।
7. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह बिना बताये किसी भी बोली को निरस्त कर सकते हैं। नीलामी की शर्तें मौके पर बोली आरम्भ होने से पहले सुनाई जाएंगी।

अतिरिक्त आयुक्त
धर्मशाला नगर निगम

Endstन० 9004-09 दिनांक:-12-01-2024
धर्मशाला नगर निगम/ नाकारा/ स्टोर/2017-
प्रतिलिपि:-

1. श्रीसुरिंदर सिंह शुक्ला मैकेनिक तकनीशियन सूचनार्थ हेतु। इसके साथ यह भी आदेश दिए जाते है कि सामान का निरीक्षण करने आए बोलीदाता को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
2. Notice Board O/othe Deputy Commissioner Kangra at Dharamshala, Notice Board O/o The Commissioner, DMC, SDM Office Dharamshala, Tehsil Office Dharamshala, Bus Stand Dharamshala.

अतिरिक्त आयुक्त
धर्मशाला नगर निगम

धर्मशाला नगर निगम
ज़िला काँगड़ा हि० प्र०

नीलामीसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की कार्यालय आयुक्त धर्मशाला नगर निगम द्वारा नाकारा घोषित किये गये निम्नलिखित सामान की बोली दिनांक 19.01.2024 को 2:30 PM बजे इस कार्यालय परिसर में रखी गयी है। नाकारा घोषित सामान कार्यालय धर्मशाला नगर निगम के कूड़ा सयंत्र केंद्र नजदीक बस डिपो धर्मशाला परिसर में रखा गया है। बोलीदाता बोली से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में इस सामान को इस कार्यालय द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी के साथ देख सकता है । नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। यह शर्तें निगम की वेबसाइट www.edharamshala.in पर भी उपलब्ध हैं।

क्र. संख्या	सामान का विवरण	संख्या
1.	Plasma Pyrolysis Plant.	1

अतिरिक्त आयुक्त
धर्मशाला नगर निगम